

पत्रांक-श्रम क०सं०-41/2026(अंश)-849

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, (संशोधन), 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, सहरसा के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) के तहत 05 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत श्रमिकों के आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से रु० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपए मात्र) अर्थात् कुल राशि रु० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता एवं मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई. एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० कमल किशोर राम, 53, स्व० बंदी राम, अनुसूचित जाति	रविद्या देवी (पत्नी)	582 04.05.2026	ग्राम-बहुरवा वार्ड-08, पो०+पो०-उटेशरा, धाना+प्र०-सलखुआ, जिला-सहरसा 9015373769	1168118 0825	SBI SBIN000 3006	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक
2	स्व० छोटु कुमार, 19, जय किशुन राम, अनुसूचित जाति	गायत्री देवी (माता)	644 18.05.2026	ग्राम-कुमेदान टोला वार्ड-01, पो०+पो०-सिटानाबाद, धाना-बख्तियारपुर प्र०-सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा 9508131354	3315552 3145	SBI SBIN000 8571	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेलपर
3	स्व० साजो पासवान, 40, सियाराम पासवान, अनुसूचित जाति	पिकी देवी (पत्नी)	645 18.05.2026	ग्राम+पो०+पो०-महखर वार्ड-09, धाना-बख्तियारपुर, प्र०-सिमरी बख्तियारपुर जिला-सहरसा 8853003169	1780000 1000865 82	PNB PUNB01 78000	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का कार्य
4	स्व० प्रदीप राम, 43, जगधर राम, अनुसूचित जाति	पुरनी देवी (पत्नी)	648 18.05.2026	ग्राम-मवदेवा, वार्ड-15, पो०-मवदेवा, पो०-महमदपुर, धाना-बलवाहाट, प्र०-सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा 9253593257	1780001 7002118 71	PNB PUNB01 78000	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि श्रमिक
5	स्व० ज्ञानी पासवान, 59, सवुरी पासवान, अनुसूचित जाति	फेकनी देवी (पत्नी)	651 18.05.2026	ग्राम+पो०+पो०-महखड वार्ड-09, धाना+प्र०-सिमरी बख्तियारपुर, जिला-सहरसा 9931410752	1780000 1001219 57	PNB PUNB01 78000	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, बर्फ बेचने का कार्य (फेरी वाला)

कुल राशि :- रु० 2,50,000/-

(दो लाख पचास हजार रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

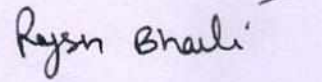
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-41/2026(अंश)-849 पटना, दिनांक :- 07/07/2026
प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रु० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रूपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, सहरसा / उप श्रमायुक्त, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


06/07/2026

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी



(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक